आदेश की कम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अर्न्तगत अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल

आर0ई0 वाद सं0— 40/2018—19

आवेदक— चन्दर कर्मकार

बनाम

विपक्षी— चुन्नु कर्मकार वगै0

आदेश

17.08.2019

आवेदक चन्दर कर्मकार, पिता— स्व0 ग्यासर कर्मकार, सा0— तलबड़िया, थाना— रांगा, जिला— साहेबगंज को सुना। उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदन दाखिल कर विपक्षीगण को आवेदित भूमि से उच्छेद करने का अनुरोध किये हैं। आवेदक के आवेदन पत्र के अवलोकनोपरांत उभय पक्षों को नोटिश निर्गत कर विपक्षी से कारण पृच्छा की माँग की गई एवं आवेदन पत्र में अंकित बिन्दुओं पर अंचल अधिकारी, पतना से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई।

विवादित भूमि की विवरणी

मौजा	जमाबंदी नं0	दाग नं0	रकवा
तलबड़िया	19	56	02—10—17
		546/707, 708	01—04—04
		581	01—15—14
		709	05—01—13
		472	03—00—10

आज आवेदक उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। फलस्वरूप आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को एक पक्षीय सुना। आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि उक्त वर्णित जमीन पतना अंचल अंतर्गत मौजा तलबड़िया के जमाबंदी नं0— 19, दाग नं0— 56, 472, 546/707, 708 एवं 581 कुल रकवा 12 बीघा 14 धूर जमीन मतला कमार व लखीराम कमार, पिता— आनन्द कमार एवं लाल कमार व बिन्दु कमार, पिता— रघु कमार के नाम से खतियान में दर्ज है। खतियानी रैयत लखीराम कमार, पिता— आनन्द कमार एवं लाल कमार, पिता'— रघु कमार की नावल्द मृत्यू हो गई तथा बिन्दु कमार, पिता— रघु कमार की घर जमाई शादी ग्राम मधुडांगा, थाना गाजल, जिला— मालदा (प0बं0) में हुई है। इस प्रकार उक्त वर्णित जमीन के एक मात्र खतियानी रैयत मताल कमार हुए। मताल कमार का एक पुत्र गोपाल कमार हुआ तथा गोपाल कमार का एक पुत्र ग्यासर कमार हुए और ग्यासर कमार का एक पुत्र चन्दर कमार हुआ जो आवेदक है। उक्त वर्णित जमीन खेती की जमीन है एवं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के तहत् अहस्तांतरणीय है। विपक्षीगण आवेदक का न तो कोई रिश्तेदार है और न ही सगे—संबंधी है। फिर भी विपक्षीगण आवेदक के खतियानी जमीन को अवैध रूप से दखल कर लिए हैं। विपक्षीगण उक्त वर्णित जमीन में आवेदक के विरूद्ध क्रि0मि0 केस नं0— 425/18 चुन्नु कर्मकार वगै0—बनाम्—चन्दर कर्मकार द0प्र0सं0 की धारा 144 के अधीन वाद दायर किये थे। जिसमें उभय पक्षों को सुनने एवं सभी कागजात के अवलोकनोपरांत दिनांक 20.08.2018 को जारी निषेधाज्ञा चुन्नु कर्मकार वगै0 के विरूद्ध सम्पुष्ट एवं चन्द्र कर्मकार के हित में रिक्त का आदेश पारित किये हैं।

अतः आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता ने उक्त वर्णित जमीन से विपक्षीगण को उच्छेद करने हेतु अनुरोध किये हैं।

विपक्षीगण आज अनुपस्थित। विपक्षीगण अपना पक्ष रखना भी उचित नहीं समझा है और इस वाद में विपक्षीगण ने कारण पृच्छा अथवा किसी भी तरह का कागजात समर्पित नहीं किये हैं।

अंचल अधिकारी, पतना के पत्रांक 334/रा0, दिनांक 16.07.2019 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन

Scanned with CamScanner

प्राप्त। अंचल अधिकारी, पतना ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किये हैं कि मौजा तलबड़िया जाकर आवेदक चन्दर कर्मकार द्वारा उसके आवेदन में अंकित जमाबंदी नं0– 19 के दाग नं0– 56, 546/707, 708, 581, 709 एवं 472 का स्थल जाँच किया एवं उक्त दाग नं0– को गत सर्वे खतियान में मिलान करने पर सही पाया। उक्त जमाबंदी नं0– 19 का खतियानी रैयत मताल कमार वो लखीराम कमार, पिता– आनन्द कमार वो लाल कमार वो बिन्दु कमार, पिता– रघु कमार है। जमाबंदी नं0– 19 का वर्तमान में एक मात्र वारिसान चन्दर कर्मकार (आवेदक) है। पूर्व में अनुमंडल न्यायालय में दायर क्रि0मि0 केस सं0 425/18 दिनांक 20.08.2018 के आदेश से भी स्पष्ट होता है कि चुन्नू कर्मकार पिता स्व0 सनाधन कर्मकार एवं शिबु कर्मकार, पिता– स्व0 मुंशी कर्मकार तथा सुखलाल कर्मकार, पिता– मुंगी कर्मकार, मौजा सीतापहाड़ के जमाबंदी नं0– 24 एवं 25 का निवासी है। स्थल जाँच से प्रतीत होता है कि निम्नलिखित दाग नं0– के सामने अंकित विपक्षीगण भूमि को कब्जा कर घर बनाकर रह रहे हैं तथा जोत आबाद कर रहे हैं।

क्र0	ज0नं0	दाग नं0	रकवा	दखलकर्त्ता (विपक्षीगण)
1	19	56	02–10–17	1. चुनू कर्मकार, पिता– स्व0 सनाधन कर्मकार 2. शिबु कर्मकार, पिता– स्व0 मुंशी कर्मकार 3. सुखलाल कर्मकार, पिता– स्व0 मुंशी कर्मकार 4. सुफियान मोमीन, पिता– स्व0 हसीबुल्ला मोमीन 5. गफुर मोमीन, पिता– स्व0 हसीबुल्ला मोमीन 6. रेजाउल मोमीन, पिता– स्व0 हसीबुल्ला मोमीन 7. कुदरातुल्ला मोमीन, पिता– स्व0 गुलजार मोमीन 8. इलियास मोमीन, पिता– इमानी मोमीन 9. इब्राहिम मोमीन, पिता– स्व0 इलियास मोमीन 10. मुर्सिलम मोमीन, पिता– स्व0 अलाउद्दीन मोमीन 11. मजिदन बीबी, पति– अलाउद्दीन मोमीन
2	19	546/707 एवं 706	01–04–04	1. सोना राम कर्मकार, पिता– सखीचंद कर्मकार 2. मुंजिलाल कर्मकार, पिता– सखीचंद कर्मकार 3. बाबुलाल कर्मकार, पिता– संखड़ कर्मकार
3	19	581	05–01–13 (आंशिक रकवा 03 कट्ठा)	डोमन कर्मकार, पिता– स्व0 मताल कर्मकार
4	19	709 एवं 742	05–01–13 एवं 03–00–10	1. चुनू कर्मकार, तिपा– स्व0 सनाधन कर्मकार 2. शिबु कर्मकार, पिता– स्व0 मुंशी कर्मकार 3. सुखलाल कर्मकार, पिता– स्व0 मुंशी कर्मकार 4. सोनाराम कर्मकार, पिता– स्व0 सखीचंद कर्मकार 5. मुंजीलाल कर्मकार, पिता– स्व0 सखीचंद कर्मकार 6. बाबुलाल कर्मकार, पिता– स्व0 संखड़ कर्मकार

उपरोक्त सभी क्रमांक 01 के अनुक्रमांक 01 से 11 तक दाग नं0– 56 को कब्जा कर घर बनाकर रह रहे हैं। क्रमांक 02 के अनुक्रमांक 01 से 03 तक दाग नं0– 546/707 एवं 706 पर घर बनाकर रह रहे हैं तथा शेष भूमि पर खेती कर रहे हैं। क्रमांक 03 दाग नं0– 581 के आंशि रकवा 03 कट्ठा जमीन पर घर बनाये हुए हैं तथा क्रमांक 04 के अनुक्रमांक 01 से 06 तक दाग नं0– 709 एवं 742 पर कब्जा कर खेती कर रहे हैं, से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने उनके द्वारा प्रस्तुत कागजात, अंचल अधिकारी, पतना के द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर यह स्पष्ट है कि द्वितीय पक्ष का विवादित जमीन पर दखल संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा 20 का उल्लंघन है। अतएव विपक्षी द्वितीय पक्ष को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के अंतर्गत उच्छेद किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल।

Scanned with CamScanner